नागरिक अधिकार पत्र
श्रम विभाग

उद्देश्य

श्रम विभाग का उद्देश्य श्रमिकों का कल्याण, औद्योगिक शांति एवं समृद्धि में वृद्धि तथा नियोजक एवं श्रमिकों के मध्य स्वस्थ, सौहार्दपूर्ण एवं सहयोगात्मक औद्योगिक सम्बन्धों की स्थापना करना है।

वर्तमान औद्योगिकरण के युग में उत्पादन की आधुनिकतम एवं विशिष्टतम प्रणालियों/तकनीक के उद्गम के फलस्वरूप औद्योगिक समस्याओं की प्रकृति तथा संख्या में अत्यधिक विस्तार हुआ है तथा औद्योगिक शान्ति कायम रखना एक चुनौतिपूर्ण कार्य बन गया है। ऐसी परिस्थितियों में श्रमिकों एवं नियोजकों की अपेक्षाओं के अनुरूप 'श्रम विभाग' की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।

श्रम विभाग जहॉ एक ओर श्रमिकों को देय विधिक हित–लाभों की रक्षा कर 'श्रम कल्याण' के लिए कृत संकल्प है वहीं दूसरी ओर श्रमिकों एवं नियोजकों के मध्य उत्पन्न औद्योगिक विवादों में मध्यस्थ की भूमिका अदा करते हुए, औद्योगिक शांति बनाये रखने के लिए सतत् रूप से प्रयत्नशील है।

नियोजक एवं श्रमिकों के मध्य मधुर औद्योगिक सम्बन्धों की स्थापना के साथ–साथ श्रम विभाग महिला श्रमिक एवं बाल श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा एवं उनके कल्याणार्थ भी प्रयासरत है। वर्तमान में राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजनाओं के माध्यम से बाल श्रमिकों की शिक्षा एवं पुर्नवास की व्यवस्था भी श्रम विभाग की निगरानी में प्रगति पर है।

श्रम विभाग श्रमिकों को वेतन, अवकाश, बोनस, उपादान आदि परिलाभों का समय पर भुगतान सुनिश्चित कर उनकी कार्य दशाओं पर भी निगरानी का कार्य करता है। असंगठित श्रमिकों के हितों की रक्षा करता है तथा कार्य के दौरान श्रमिक की दुर्घटना से क्षति/मृत्यु की स्थिति में उसे/उसके आश्रितों को मुआवजा राशि का भुगतान सुनिश्चित करवाकर श्रम कल्याण की दिशा में कार्य करता है।

श्रम विभाग की भूमिका

1. औद्योगिक शिकायतों/विवादों में मध्यस्थ की भूमिका अदा करते हुएऔद्योगिक शांति कायम करना।
2. विभिन्न श्रम अधिनियमों के प्रवर्तन द्वारा श्रमिकों का कल्याण सुनिश्चित करना।
3. औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों को शोषण से मुक्त कर उनके अधिकारों की रक्षा करना।
4. न्यायिक कार्य के जरिये विभिन्न श्रम अधिनियमों के तहत श्रमिकों को देय हित लाभ उन्हें दिलवाना।
5. राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना के तहत बाल श्रमिकों के शिक्षण, पुर्नवास एवं कल्याण सम्बन्धी कार्य।
6. औद्योगिक आवास योजना के माध्यम से श्रमिकों को सस्ते आवास–गृह उपलब्ध कराना।
7. सामान्य श्रम कल्याण हेतु श्रम कल्याण केन्द्रों के माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियॉ संचालित करवाना।
8. विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत सर्वे, अनुसंधान कार्य।
9. राज्य की औद्योगिक नीति एवं कार्यक्रमों को लागू करने का कार्य।
10. विभिन्न श्रम अधिनियमों के तहत पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं अनुज्ञा–पत्र जारी कर राजस्व प्राप्त करना।

नागरिक अधिकार पत्र
विभिन्न श्रम अधिनियमों के तहत विभाग की कार्य विधियॉ एवं नागरिक अधिकार
औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

(अ) औद्योगिक शिकायतें : श्रमिकों की छॅटनी, सेवामुक्ति, बर्खास्तगी, बोनस, मजदूरी, भत्ते, छुट्टियॉ, कार्य की दशाएँ व मॉगपत्र आदि से संबंधित शिकायतें स्वयं या यूनियन के जरिये तथ्यात्मक विवरण एवं दस्तावेजों के साथ दो प्रतियों में प्राप्त होने पर समझौता अधिकारी नियोजक की टिप्पणी प्राप्त कर वार्ताएँ आयोजित कर शिकायत का निस्तारण करता है।

(ब) औद्योगिक विवाद : श्रमिकों एवं नियोजकों के साथ उत्पन्न सामान्य औद्योगिक विवादों एवं हड़ताल, धरना, तालाबंदी आदि से उत्पन्न औद्योगिक–अशांति की स्थिति में समझौता अधिकारी त्वरित कार्यवाही कर औद्योगिक शांति स्थापित करने का प्रयास करता है। पक्षकारों के मध्य सहमति की स्थिति में समझौता दर्ज किया जाता है तथा असहमति की स्थिति में अग्रिम कार्यवाही हेतु असफल वार्ता प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत कियाजाता है।

(स) राज्य सरकार स्तर पर की जाने वाली कार्यवाहीः–

1. पक्षकारों की सहमति की स्थिति में विवाद को पंच निर्णय एवं बोर्ड ऑफ कन्सीलियेशन के समक्ष भेजने की कार्यवाही।
2. विवाद को न्याय निर्णयार्थ श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण/ राष्ट्रीय अभिकरण को अग्रेषित करना।
3. परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में आवश्यकतानुसार औद्योगिक शांति कायम रखने के लिए धारा 10(3), धारा 10 (के) के आदेश जारी करना।
4. विवाद को न्याय–निर्णयार्थ अग्रेषित नहीं करने की स्थिति में पक्षकारों को सूचित करना।
5. निर्णयों की अधिसूचना जारी करना।

अधिकार : शिकायत प्रस्तुत करने का अधिकार।

नोट : राज्य के जिलों में श्रम कार्यालयों में नियुक्त श्रम निरीक्षक, श्रम कल्याण अधिकारी, सहायक/उप/संयुक्त श्रम आयुक्त औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत समझौता अधिकारी के रूप में सक्षम अधिकारी है।

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
(कृषि सहित 39 अधिसूचित नियोजनों पर लागू)

अधिकार :

1. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम वेतन पाने का अधिकार जो कि वर्तमान में अकुशल श्रमिक रु. 60/– अर्द्धकुशल रु.64/– व कुशल रु.68/– प्रतिदिन है।
2. साप्ताहिक अवकाश एवं अधिसमय कार्य का दुगुना भुगतान पाने का अधिकार।

वेतन भगुतान अधिनियम, 1936
(अधिनियम वेतन सीमा रु.1600/– प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले श्रमिकों पर लागू)

अधिकार :

1. निश्चित निर्धारित समय पर वेतन पाने का अधिकार।
2. वेतन में से अनधिकृत कटौती अथवा वेतन भुगतान नहीं करने की स्थिति में पूर्ण राशि मय 10 गुणा तक मुआवजा पाने का अधिकार।
3. वेतन भुगतान में देरी होने पर क्षतिपूर्ति सहित वेतन पाने का अधिकार।

बोनस भुगतान अधिनियम, 1965
(लेखा वर्ष के दौरान किसी भी दिन 10 या अधिक (पावर से संचालित संस्थान में) अथवा 20 या अधिक (बिना पावर संचालित संस्थान में) श्रमिक नियोजित रखने वाले संस्थानों पर लागू। संस्थान आरम्भ होने के प्रथम पॉच वर्ष बाद या पूर्व में किसी भी वर्ष अधिलाभ की स्थिति में देय तथा छठे वर्ष से नियमानुसार अधिलाभ के अनुसार या 8.33 प्रतिशत न्यूनतम या 20 प्रतिशत अधिकतम। प्रतिमाह रु.3500/– तक वेतन पाने वाले श्रमिकों को देय है।)

अधिकार : प्रत्येक कामगार का बोनस पाने का अधिकार।

उपादान संदाय अधिनियम, 1972
(प्रत्येक कारखाने/संस्थान जिसमें 10 या अधिक श्रमिक कार्यरत हों पर लागू)

अधिकार :

1. पॉच वर्ष से अधिक निरन्तर सेवाएं देने वाले श्रमिक का सेवामुक्ति/सेवानिवृत्ति तिथि से 30 दिवस के अन्दर उपादान (ग्रेच्यूटी) पाने का अधिकार।

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
(सभी शिक्षण संस्थाओं/अस्पतालों, नर्सिंग होम्सव अन्य अनुसूचित नियोजनों पर लागू)

अधिकार :

1. प्रत्येक महिला श्रमिक को समान कार्य के लिए पुरुष श्रमिक के समान/बराबर वेतन प्राप्त करने का अधिकार।

मोटर ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स एक्ट, 1961
(दो या अधिक कर्मकारों वाले मोटर ट्रान्सपोर्ट संस्थानों पर लागू)

अधिकार :

1. श्रमिकों का निर्धारित समय पर वेतन, साप्ताहिक अवकाश, अधिसमय कार्य का दुगुनी दर से भुगतान पाने का अधिकार।
2. 14 वर्ष से 18 वर्ष तक के अल्प वयस्क से अधिकतम 6 घंटे तथा वयस्क से 8 घंटे काम लेना जिसमें आधा घंटा विश्राम सम्मिलित है। अल्प वयस्क की कार्यावधि विस्तार 9 घंटे तथा वयस्क का 14 घंटे से अधिक नहीं।
3. अल्प वयस्क को 15 दिन एवं वयस्क को 20 दिन कार्य करने पर एक दिन का सवैतनिक अवकाश पाने का अधिकार।
4. कैन्टीन, विश्राम कक्ष, यूनीफार्म, चिकित्सा आदि सुविधाऍ पाने का अधिकार।

ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970
(ठेकेदार द्वारा 20 या अधिक श्रमिक नियोजित होने पर लागू)

अधिकार :

1. ठेका श्रमिकों द्वारा किसी भी संस्थान में समान कार्य के लिए सीधे नियोजित अन्य श्रमिकों के समान वेतन, अवकाश, कार्यघंटे एवं कार्य–दशाओं का अधिकार।
2. निर्धारित समय पर वेतन एवं अधिसमय कार्य के लिए दुगुनी दर से भुगतान पाने का अधिकार।
3. कैन्टीन, रात्रि विश्राम की स्थिति में विश्राम कक्ष, प्राथमिक उपचार, पीने का पानी, शौचालय आदि सुविधाऍ पाने का अधिकार।

बाल श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986
(बाल श्रमिक वह है जिसकी उम्र 14 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है तथा जो वेतन के लिए कार्य करता है)

अधिकार :

1. जोखिमपूर्ण व्यवसाय एवं प्रक्रियाओं में बालश्रमिकों के नियोजन पर प्रतिषेध एवं गैर जोखिमपूर्ण में सेवाओं का नियमन।
2. गैर जोखिमपूर्ण व्यवसाय एवं प्रक्रियाओं में बाल श्रमिक से 6 घंटे से अधिक कार्य नहीं लिया जा सकता जिसमें एक घंटे का विश्राम शामिल है। तीन घंटे निरंतर कार्य के बाद एक घंटे का विश्राम जरूरी।
3. प्रातः 8.00 बजे से सांय 7.00 बजे के दौरान केवल 6 घंटे तक कार्य लिया जा सकता है।
4. बाल श्रमिकों से अधिसमय कार्य नहीं लिया जा सकता।
5. साप्ताहिक अवकाश का अधिकार।
6. बाल श्रमिक का शिक्षा एवं पुनर्वास का अधिकार।

कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923

अधिकार :

1. किसी भी संस्थान में कार्यरत श्रमिक का कार्य के दौरान दुर्घटना के परिणाम स्वरूप अक्षमताकारित होने पर मुआवजा राशि पाने का अधिकार।
2. कार्य के दौरान दुर्घटना के फलस्वरूप श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में उसके आश्रितों का मुआवजा पाने का अधिकार।
3. दुर्घटना तिथि से 30 दिवस की अवधि में मुआवजा राशि की अदायगी करना नियोजक का दायित्व।
4. नियोजक द्वारा भुगतान नहीं किये जाने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दावा पेश करने का अधिकार।

व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926

अधिकार :

1. किसी भी संस्थान में कार्यरत 7 या अधिक श्रमिकों का संगठित होकर व्यवसाय संघ बनाने का अधिकार।
2. व्यवसाय संघ द्वारा श्रमिकों के व्यक्तिगत एवं सामूहिक हितों के मामलों में विभिन्न स्तरों पर कार्यवाही करने का अधिकार।

बीड़ी एवं सिगार कामगार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966

अधिकार :

1. श्रमिकों का निर्धारित समय पर नियमानुसार वेतन साप्ताहिक अवकाश, सवैतनिक अवकाश तथा अधिसमय कार्य का दुगुना भुगतान पाने का अधिकार।
2. विश्राम अवधि को सम्मिलित करते हुए एक दिवस में बिना अधिसमय के 9 घंटे तथा अधिसमय सहित 10 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता।
3. महिलाओं एवं किशोरों से प्रातः 6.00 बजे से सांय 7.00 बजे के दौरान ही काम लिया जा सकता है।
4. बाल श्रमिकों का नियोजन प्रतिषिद्ध है।
5. कार्यस्थल पर स्वच्छ हवा, प्रकाश, पेयजल, शौचालय, शिशुगृह, प्राथमिक उपचार, कैन्टीन आदि सुविधाओं को पाने का अधिकार।

औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946
(50 या अधिक श्रमिक नियोजित करने वाले संस्थानों पर लागू)

अधिकार :

1. श्रमिकों एवं नियोजक द्वारा श्रमिकों की सेवाशर्तों संबंधी नियमों को स्थायी आदेश के रूप में प्रमाणित एवं संशोधित करवाने का अधिकार।

अन्तर्राज्य प्रवासी कर्मकार (नियोजन एवं सेवाशर्ते विनियमन) अधिनियम, 1979
(किसी भी संस्थान में पॉच या अधिक प्रवासी कर्मकारनियोजित करने पर लागू)

अधिकार :

1. प्रवासी कर्मकारों का संस्थान में कार्यरत अन्य श्रमिकों के समान वेतन, साप्ताहिक अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ प्राप्त करने का अधिकार।
2. नियुक्ति के समय विस्थापन भत्ता पाने का अधिकार।
3. अपने राज्य में निवास स्थल से दूसरे राज्य में कार्यस्थल तक आने जाने का यात्रा व्यय पाने का अधिकार।
4. यात्रा अवधि को कार्य अवधि मानते हुए उसकी मजदूरी पाने का अधिकार।
5. नियोजन के दौरान समुचित आवास, एवं चिकित्सा–सुविधा पाने का अधिकार।

विक्रय बढ़ोत्तरी कामगार (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1976
(औषधि निर्माण करने वाले औद्योगिक संस्थानों पर लागू)

अधिकार :

1. नियुक्ति आदेश पाने का अधिकार।
2. उपार्जित अवकाश एवं अर्द्धवैतनिक अवकाश पाने का अधिकार।
3. औद्योगिक विवाद अधिनियम, न्यूनतम वेतन अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम, उपादान संदाय अधिनियम के तहत देय हितलाभ पाने का अधिकार।

कार्यकारी पत्रकार एवं अन्य कामगार (सेवा की शर्तें) एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1955

अधिकार :

1. केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर वेतनपाने का अधिकार।
2. साप्ताहिक, आकस्मिक, उपार्जित एवं अर्द्धवैतनिक अवकाश पाने का अधिकार।
3. नियमानुसार ग्रेच्यूटी पाने का अधिकार।

राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958
(यह अधिनियम दुकानों, वाणिज्यिक संस्थानों, होटल, रेस्टोरेन्ट्स, सिनेमा, थियेटर आदि पर अधिसूचित क्षेत्रों में लागू है।)

अधिकार :

1. श्रमिकों का निर्धारित समय पर नियमानुसार वेतन, साप्ताहिक अवकाश, सवैतनिक अवकाश एवं अधिसमय–कार्य का दुगुना भुगतान आदि पाने का अधिकार।
2. अधिनियम की धारा 28ए लागू होने की स्थिति में 6 माह कार्य करने के पश्चात् श्रमिक को बिना किसी युक्तिसंगत कारण के सेवा से पृथक नहीं किया जा सकता।

विभाग के सक्षम अधिकारी/प्राधिकारियों का विवरण

औद्योगिक विवाद अधिनियम, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, व्यवसाय–संघ अधिनियम, औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम, को छोड़कर अन्य सभी अधिनियमों के तहत प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में नियुक्ति श्रम निरीक्षक संस्थान के भुगतान एवं अन्य संबंधित अभिलेखों का निरीक्षण कर अधिनियमों की पालना सुनिश्चित करता है। किसी भी अधिनियम के तहत श्रमिकों के अधिकारों के अतिलंघन की स्थिति में श्रमिक स्वयं सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दावा पेश करसकता है या श्रम–निरीक्षक को शिकायत पेश कर सकता है। जिसके आधार पर श्रम–निरीक्षक द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दावा पेश किया जा सकता है। प्रत्येक जिले के श्रम कल्याण अधिकारी, सहायक/उप/संयुक्त श्रम–आयुक्त अधिनियमों के तहत अपने क्षेत्राधिकार में सक्षम प्राधिकारी नियुक्त है। कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत दावों की सुनवायी हेतु उक्त सभी अधिकारी आयुक्त नियुक्त है।

श्रम कल्याण केन्द्र

राज्य में 1. जयपुर 2. लाखेरी (बूंदी) 3. सवाई माधोपुर 4. भीलवाडा 5. चित्तौडगढ़ 6. जावन माइन्स (उदयपुर) 7. ब्यावर (अजमेर) 8. किशनगढ (अजमेर) 9. श्रीगंगानगर 10. पाली में श्रम कल्याण केन्द्र स्थापित हैं जिनमें से ब्यावर, सवाईमाधोपुर, पाली एवं किशनगढ स्थित केन्द्रों में श्रमिकों एवं उनके परिजनों को खेलकूद, मनोरंजन, शिक्षण आदि की सुविधाएँ उपलब्ध करवायी जाती है। उक्त केन्द्रों की मुख्य गतिविधियॉ निम्न हैं – 1. खेल–कूद–इन्डोर एवं आउटडोर 2. शिशु एवं प्रौढ़ शिक्षण कार्य 3. महिला सिलाई कार्य।

विभिन्न श्रम अधिनियमों के तहत पंजीयन/अनुज्ञा–पत्र सम्बन्धी कार्य

क्रसं.	अधिनियम	सक्षम अधिकारी	अनुमानित निस्तारण अवधि
1.	**राज्य दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1958** पंजीयन संशोधन, नवीनीकरण, नामांतरण आदि	श्रम निरीक्षक	10 दिवस
2.	**ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970** (I) पंजीयन, संशोधन अनुज्ञा–पत्र जारी करना, संशोधन करना।	क्षेत्रीय संयु./ उप/सहायक श्रम आयुक्त	15 दिवस
	(ii) धरोहरराशि लौटाना	क्षेत्रीय संयु./ उप/सहायक श्रम आयुक्त	60 दिवस
3.	**मेटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961** प्ंजीयन प्रमाण पत्र जारी करना, संशोधन, नवीनीकरण, नामांतरण, डुप्लीकेट कापी जारी करना	क्षेत्रीय संयु./ उप/सहायक श्रम आयुक्त	15 दिवस
4.	**अर्न्तराज्य प्रवासी कर्मकार (नियोजन विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1979** पंजीयन प्रमाण पत्र, अनुज्ञा पत्र जारी करना/रद्द करना	क्षेत्रीय संयु./ उप/सहायक श्रम आयुक्त	15 दिवस
5.	**बैड़ी सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्ते) अधिनियम 1966** अनुज्ञा पत्र जारी करना/नवीनीकरण करना	क्षेत्रीय संयु./ उप/सहायक श्रम आयुक्त	15 दिवस
6.	**व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926** प्ंजीयन प्रमाण पत्र जारी करना/व्यवसाय संघ के नियमों में संशोधन का पंजीयन करना	पंजीयकः संयुक्त श्रम आयुक्त (आई.आर.) जयपुर एवं क्षेत्रीय संयुक्त श्रम आयुक्त	15 दिवस

औद्योगिक आवास योजना

राज्य में श्रमिकों को रहने के लिए कम किराये पर भवन/आवास उपलब्ध करवाये जाने के उद्देश्य से औद्योगिक आवास योजना प्रारम्भ की गई है। उक्त योजना राज्य के निम्नलिखित आठ शहरों में आरम्भ की गई है – (1) जयपुर (2) कोटा (3) उदयपुर (4) भीलवाडा (5) पाली (6) श्रीगंगानगर (7) सवाई माधोपुर (8) ब्यावर।

उक्त शहरों में औद्योगिक आवास योजना के तहत कुल 2592 भवन निर्मित किये गये। वर्ष 1985 में उक्त भवनों में रह रहे अधिकृत आवंटियों को भवनों का स्वामित्व प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। इन स्थानों पर अधिकांश भवनों का स्वामित्व श्रमिकों को सौंपा जा चुका है।

विभिन्न श्रम अधिनियमों के तहत सर्वे एवं अनुसंधान कार्य

औद्योगिक श्रम नीति के तहत श्रम विभाग के कार्य निष्पादन को तर्क संगत एवं उच्च गुणात्मक स्तर के अनुरूप प्रस्तुत करने के लिए विभाग में सांख्यिकी शाखा की महत्वपूर्ण भूमिका है। विभाग का सांख्यिकी अनुभाग विभिन्न श्रम अधिनियमों के प्रवर्तन एवं श्रम समस्याओं से संबंधित सांख्यिकीय सूचनाएं एकत्र कर, उन पर अनुसंधान कर तदनुरूप नीति निर्धारण एवं समस्याओं के निराकरण में सहयोग प्रदान करता है।

राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना के तहत बाल श्रमिकों के कल्याण सम्बन्धी कार्य

राज्य में जोखिमपूर्ण व्यवसायों/प्रक्रियाओं में लगे बाल श्रमिकों के पुर्नवास हेतु जयपुर,जोधपुर, अजमेर, टोंक एवं उदयपुर में राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना के तहत परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। इन परियोजनाओं में 140 विशेष विद्यालयों के जरियें 7000 बाल श्रमिकों के पुर्नवास की व्यवस्था है। परियोजनाओं के तहत बाल श्रमिकों को निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदत्त की जा रही हैं – (क) औपचारिक एवं व्यावसायिक शिक्षण (ख) प्रत्येक बाल श्रमिक को रु.100/– प्रति माह स्टाइपेंड (ग) अल्पाहार (घ) चिकित्सा सुविधायें।

––